हुक्म तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज F.S.S.Act Case No.11/2022	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
20.5.2022	पत्रावली पेश हुई। श्री विनोद कुमार शर्मा, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादीगण अनुपस्थित। प्रकरण में प्रतिवादी योगीराज जानी पुत्र श्री देवेन्द्र जानी, जाति– ब्राहमण, निवासी– होटल सरस्वती के पीछे, अक्षय कॉलोनी, माउन्ट आबू, जिला– सिरोही, मैनेजर एवं खाद्य कारोबारकर्ता, फर्म सुशीलाज् फूडस्, होटल मगनजीज् कैम्पस, माउन्ट रोड, माउन्ट आबू, जिला– सिरोही एवं प्रतिवादी कश्यप जानी पुत्र श्री तिलोक जानी, निवासी– होटल सरस्वती के पीछे, अक्षय कॉलोनी, माउन्ट आबू, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म सुशीलाज् फूडस्, होटल मगनजीज् कैम्पस, माउन्ट रोड, माउन्ट आबू, जिला– सिरोही ने दिनांक 17.5.2022 को इस न्यायालय में उपस्थित होकर अलग अलग लिखित जवाब प्रस्तुत कर स्वेच्छा से जुर्म स्वीकार कर प्रकरण का निरस्त किये जाने का अनुरोध किया। प्रकरण में नियत सुनवाई तिथि 17.5.2022 को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित नही हुये। प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा जुर्म स्वीकार कर लिये जाने से प्रतिवादीगण को दिनांक 17.5.2022 को ही सुना गया। जिन्होनें जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए प्रकरण का निस्तारण किये जाने का अनुरोध किया। प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री विनोद कुमार शर्मा, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु दिनांक 27.6.2021 को समय 3.00 पी.एम. पर फर्म सुशीलाज् फूडस्, होटल मगनजीज् कैमपस, माउप्ट रोड, माउन्ट आबू, जिला– सिरोही पर गये। वहां पर मैनेजर एवं खाद्य कारोबारकर्ता के हैसियत से प्रतिवादी योगीराज जानी पुत्र श्री देवेन्द्र जानी, जाति– ब्राहमण, निवासी– होटल मगनजी के पीछे, अक्षय कॉलोनी, माउन्ट आबू, जिला– सिरोही उपस्थित मिले, जो आम जनता को पनीर की सब्जी एवं खाना बनाकर बेचता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग में आने वाले खाद्य पदार्थ पीनर के अमानक होने का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर करते हुए इसकी सूचना खाद्य कारोबारकर्ता एवं मैनेजर योगीराज को गवाह श्री विशाल सिंह, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही को प्रपत्र संख्या 5ए में भरकर दी एवं सुशीलाज् फूड्स के कीचन में फि[illegible] स्टील की ट्रे में मौजूद पनीर लगभग 3 किलोग्राम में से [illegible] किलोग्राम पनीर को जांच हेतु [illegible] में खरीदा एवं ......लगातार	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:17:05 IST
Reason: SelfAttested

प्रशि. जिला अभिभाषक
सिरोही–307001

हुक्म तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज F.S.S.Act Case No.11/2022	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
	पनीर की कीमत राशि रुपये 300/– (अक्षरे रुपये तीन सौ मात्र) खाद्य कारोबारकता/मैनेजर को अदाकर खरीद रसीद बिल प्राप्त किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य कारोबारकर्ता एवं गवाह को चार साफ, सूखे एवं खाली जारी दिखये तथा लेबल पर अभिहित अधिकारी के कोड एवं क्रमांक, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ का नाम आदि अंकित कर उस पर खाद्य कारोबारकर्ता/मैनेजर योगीराज जानी एवं गवाह के हस्ताक्षर कराये तथा स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा पनीर को अच्छी तरह हिलामिलाकर चारों नमूना जारों में बराबर–बराबर मात्रा में भरा एवं चारो नमूना जारों में 20–20 बूंदे फार्मेलीन की डालकर चारों नमूना जारों को ढक्कन से एयरटाईट बन्द किया। चारों नमूना जारों पर एक–एक लेबल गोंद से चिपकाया एवं चारों नमूना जारों को अलग–अलग कागज में लपेटकर प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लीप S-1439 को नियमानुसार गोंद से चिपकाया तथा प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता/मैनेजर एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। चारों नमूना भाग को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने स्वयं के कब्जे में लेकर मौका रिपोर्ट तैयार की, जिस पर खाद्य कारोबारकर्ता/मैनेजर योगीराज, उक्त गवाह एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये है। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पॅहुचकर फार्म नम्बर–6 की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूनें को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। चारों नमूना भागों के साथ फार्म नम्बर VI की एक–एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को आउटर कवर में बंद किया व नियमानुसार सील चपडी किया तथा फार्म नम्बर VI की दो–दो प्रतियां दो लिफाफो में अलग–अलग बन्द कर गोंद से चिपकाकर लिफाफों को सील चपडी किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 28.6.2021 को नमूनें का एक भाग व फार्म नम्बर 6 का एक सील बन्द लिफाफा श्री प्रवीण कुमार, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं दिनांक 27.6.2021 को शेष तीन नमूना भाग व फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा (अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। इस प्रकार, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म सुशीलाज् फूडस्, होटल मगनजीज् कैम्पस, माउन्ट रोड, माउन्ट आबू, जिला– सिरोही में खाद्य कारोबारकर्ता/मैनेजर योगीराज ......लगातार	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:17:05 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

हुक्म तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज F.S.S.Act Case No.11/2022	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए

जानी से खाद्य पदार्थ पनीर को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है। प्रकरण में खाद्य विश्लेषक, जोधपुर से खाद्य पदार्थ पनीर के नमूना संख्या S-1439 की प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांकःL.S./394/Act/2021/492 दिनांक 09.7.2021 के अनुसार खाद्य पदार्थ पनीर का नमूना संख्या S-1439 अमानक (Sub-standard) पाया गया है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि सुशीलाज् फूडस्, होटल मगनजीज् कैम्पस, माउन्ट रोड, माउन्ट आबू में मैनेजर एवं खाद्य कारोबारकर्ता द्वारा अमानक (Sub-standard) खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है। पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य भी स्पष्ट है कि प्रतिवादी योगीराज जो कि सुशीलाज् फूडस्, होटल मगनजीज् कैम्पस, माउन्ट रोड, माउन्ट आबू में मैनेजर है एवं सुशीलाज् फूडस्, होटल मगनजीज् कैम्पस, माउन्ट रोड, माउन्ट आबू के प्रोपराईटर प्रतिवादी कश्यज जानी पुत्र श्री तिलोक जानी, निवासी– होटल सरस्वती के पीछे, अक्षय कॉलोनी, माउन्ट आबू, जिला– सिरोही है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा– 51 के तहत प्रतिवादी कश्यज जानी पुत्र श्री तिलोक जानी, निवासी– होटल सरस्वती के पीछे, अक्षय कॉलोनी, माउन्ट आबू, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म सुशीलाज् फूडस्, होटल मगनजीज् कैम्पस, माउन्ट रोड, माउन्ट आबू, जिला– सिरोही पर राशि रुपये 15,000/– (अक्षरे रुपये पन्द्रह हजार मात्र) का जुर्माना आरोपित किया जाता है। प्रतिवादी कश्यज जानी पुत्र श्री तिलोक जानी, निवासी– होटल सरस्वती के पीछे, अक्षय कॉलोनी, माउन्ट आबू, जिला– सिरोही को आदेशित किया जाता है कि उन पर जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही (Adjudicating officer & Additional District Magistrate, Sirohi) के पक्ष में Crossed Dema[illegible]ही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्या[illegible]धिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट, [illegible] जमा करवाये। निर्णय [illegible] होकर नंबर से कम हो। निर्णय की प्रति संबंधित को पालनार्थ प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जमा होने जु[illegible] राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 22.6.2022 को पेश हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:17:05 IST
Reason: SelfAttested

(के.आर.खौड)
अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.